

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापन्न

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 293]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 22 जुलाई 2015—आषाढ़ 31, शक 1937

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 22 जुलाई 2015

क्र. 16214-वि.स.-विधान-2015.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2015 (क्रमांक 10 सन् 2015) जो विधान सभा में दिनांक 22 जुलाई, 2015 को पुरस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

भगवानदेव ईसरानी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १० सन् २०१५

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, २०१५

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम.

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन अधिनियम, २०१५ है।

अनुसूची का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की अनुसूची में अनुक्रमांक १५ तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :—

अनु- क्रमांक (१)	निजी विश्वविद्यालय का नाम (२)	प्रायोजी निकाय का नाम (३)	प्रायोजी निकाय की स्थापना की पद्धति (४)	मुख्य परिसर (५)	अधिकारिता (६)
“१६.	पी. के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी.	सोनल एजूकेशन सोसायटी, ग्राम तेहरा, हाथरस रोड, पोस्ट सोनई, जिला मथुरा, उ. प्र.	सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, १८६० (सन् १८६० का २१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	पी. के. विश्वविद्यालय, ग्राम थाना, तहसील कैरौरा, एन. एच.-२५ शिवपुरी.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१७.	मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर.	भंवरलाल नाहटा स्मृति संस्थान, मह-नीमच रोड, भंवरलाल नाहटा मार्ग, मंदसौर.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५१ (क्रमांक ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	मंदसौर विश्वविद्यालय, बायपास स्क्वायर, रेवास देवड़ा रोड, मंदसौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश
१८.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, इन्दौर.	मेडीकेप्स चेरिटेबल ट्रस्ट, २०१, पुष्परत्न पैराडाइज, १/५ न्यू पलासिया, इन्दौर.	मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, १९५१ (क्र. ३० सन् १९५१) के अधीन रजिस्ट्रीकृत.	मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, ए. बी. रोड, पिंदाम्बर राड, इन्दौर.	सम्पूर्ण मध्यप्रदेश”

उद्देश्यों एवं कारणों का कथन

मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) अधिनियम, २००७ (क्रमांक १७ सन् २००७) की धारा ५ में यह उपबंधित है कि इस अधिनियम के अधीन गठित विनियामक आयोग, राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना किए जाने के प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगा। उक्त उपबंध के प्रकाश में, विनियामक आयोग ने निजी विश्वविद्यालय, अर्थात् :—पी. के. विश्वविद्यालय, शिवपुरी, मंदसौर विश्वविद्यालय, मंदसौर तथा मेडीकेप्स विश्वविद्यालय, इन्दौर में स्थापित करने की अनुशंसा की है। उक्त अधिनियम की धारा ६ के प्रकाश में, राज्य सरकार ने उक्त विश्वविद्यालयों की स्थापना के संबंध में, विश्वविद्यालयों के प्रायोजी निकाय को एक आशय पत्र जारी कर दिया है। उक्त अधिनियम की अनुसूची में उनके नाम और विशिष्टियों को समाविष्ट करके निजी विश्वविद्यालयों को स्थापित किया जाए।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख २० जुलाई, २०१५

उमाशंकर गुप्ता
भारसाधक सदस्य,